

समाहरणालय खगड़िया

विषेय भू-अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर।

पत्रांक-.....

खगड़िया, दिनांक.....

प्रेषक,

समाहर्ता,
खगड़िया।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
आद्री पटना।

विषय:-

खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया शहर सुरक्षा तटबंध भाग-II के निर्माणार्थ मौजा-बभनगाँवा, थाना नं०-252 में स्थायी भू-अर्जन हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन के क्रम में प्रारूप आकलन प्रतिवेदन के आलोक में लोक सुनवाई प्रक्रिया का सम्पादन के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-7458, दिनांक-16.01.2017 एवं पत्रांक-7473, दिनांक-20.01.2017

महाषय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक योजना के सामाजिक प्रभाव आकलन से संबंधित प्रारूप अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिवेदन आपके प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रारूप प्रतिवेदन के प्रमुख निष्कर्ष को बताने, निष्कर्षों पर मंतव्य मांगने तथा अंतिम प्रतिवेदन (नियम 6 के उपनियम (3)) में इसे सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त सूचना एवं मंतव्य मांगने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में बिहार भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 के धारा 11 में अंतर्निहित प्रावधान के आलोक में आपके द्वारा लोक सुनवाई किया जाना है। एतदर्थ लोक सुनवाई हेतु तिथि स्थान वो समय का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

क्रमांक	मौजा का नाम	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित स्थान	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि	समय
1	बभनगाँवा	मध्य विद्यालय, बभनगाँवा	30.03.2017	10:30 पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक

प्रारूप प्रतिवेदन एवं इस पत्र की प्रति जिला के वेबसाईट पर इस स्तर से अपलोड करते हुए अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम का उपर वर्णित नियमावली की धारा 11 (3) में विहित रीति से प्रचार-प्रसार करते हुए नियमानुसार लोक सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन समय-सीमा के भीतर समर्पित किया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

ह/

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार,
खगड़िया।

ज्ञापांक 114 भागलपुर, दिनांक 28.2.017

प्रतिलिपि:- मुखिया ग्राम पंचायत बभनगाँवा को सूचनार्थ एवं पंचायत कार्यालय के सूचना-पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि स्थानीय स्तर पर आयोजित जन सुनवाई में भाग लेने हेतु अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए भाग लेना चाहेंगे।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, खगड़िया, /प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जन सुनवाई हेतु आयोजित विवर में भाग लेना चाहेंगे।

प्रतिलिपि:- I.T Manager, I.T कोषांग, खगड़िया को सूचनार्थ एवं प्रारूप S.I.A प्रतिवेदन की प्रति के साथ जिला वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार,
खगड़िया

क्र.सं.	वि.सं.	वि.सं.	वि.सं.	वि.सं.
1	2	3	4	5

प्रतिलिपि:- प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक
जल संसाधन विभाग

खगड़िया शहर सुरक्षा के लिए बभनगामा गांव में
चन्हा नदी पर तटबंध योजना

संक्षिप्त रिपोर्ट

समर्पित
जिलाधिकारी, खगड़िया



एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट

पटना कार्यालय : बीएसआईडीसी कॉलोनी, ऑफ बोरिंग पाटलिपुत्रा रोड, पटना- 800 013
फोन : 0612-2575649, 2578773, 2572745 फैक्स : 0612-2577102 ई-मेल- adri_patna@hotmail.com

खगड़िया शहर सुरक्षा के लिए बभनगामा गांव में चन्हा नदी पर तटबंध योजना

संक्षिप्त रिपोर्ट

परियोजना

यह परियोजना खगड़िया शहर संरक्षा योजना के तहत बभनगामा गांव में चन्हा नदी पर 25.60 किमी से 29.45 किमी तक दक्षिणी तटबंध के पूरा होने से संबंधित है। तथ्यतः, खगड़िया शहर की रक्षा के लिए चन्हा नदी के किनारे 10.40 किमी से 38.20 किमी पर स्थित बागमती नदी के संतोष स्लूइस गेट तक मिट्टी के दक्षिणी तटबंध के निर्माण का काम पहले ही हाथ में लिया गया था। हालांकि दक्षिणी तटबंध के अधिकांश हिस्से का काम पूरा हो गया था लेकिन बभनगामा के ग्रामीणों द्वारा प्रतिरोध के चलते 25.60 किमी से 29.45 किमी तक लगभग 4 किमी में काम पूरा नहीं किया जा सका था।

खगड़िया शहर और उसके आसपास के खगड़िया और बेगूसराय जिले के क्षेत्रों को बाढ़ के आतंक और बाढ़ में डूबने से मुक्त करने के लिए संशोधित परियोजना (2) का काम हाथ में लिया गया था। इस योजना के तहत बभनगामा छोड़कर बाकी तीनों गांवों में काम पूरा हो गया। महसूस होता है कि जब तक बभनगामा में काम पूरा नहीं होता है तब तक खगड़िया शहर संरक्षा योजना को पूरा नहीं किया जा सकता।

परियोजना

खगड़िया जिले में खगड़िया शहर संरक्षा योजना (भाग-2) के लिए 33.00 एकड़ जमीन के अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की जवाबदेही खगड़िया जिला समाहर्ता ने अपने पत्रांक 307, दिनांक 20 जुलाई, 2016 के माध्यम से आद्री को दी। परियोजना का विस्तार जिले में एक मात्र गांव बभनगामा में है।

